382

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प 4 (15) शिक्षा–1/मॉडल स्कूल/2008 पार्ट   जयपुर दिनांक 3/6/15

आयुक्त,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद,
जयपुर, राजस्थान।

विषय :– स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में सत्र 2015–16 से प्रवेश हेतु जारी नीति में आंशिक संशोधन किये जाने बाबत।

संदर्भ :– राज्य सरकार का पूर्व पत्रांक क्रमांक : प 4 (15) शिक्षा–1/मॉडल स्कूल/2008 पार्ट जयपुर दिनांक 23.02.2015 के क्रम में।

स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के संचालन हेतु संदर्भित पत्र के द्वारा निर्धारित प्रवेश नीति में सत्र 2015–16 से निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:–

1. कक्षा 9 हेतु जारी प्रवेश नीति के बिन्दु संख्या 2 एवं 3 में आवश्यक शिथिलन प्रदान करते हुए निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

   1.1. स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों की कक्षा 8 उत्तीर्ण एवं 8वीं कक्षा की परीक्षा में समग्र रूप से 40 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में कक्षा 9 में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

   1.2. 40 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों को आर.टी.ई. एक्ट (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के तहत उच्च प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र दिया जावेगा। इसके आधार पर वे अन्य विद्यालयों में प्रवेश ले सकेंगे।

   1.3. 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से रिक्त रही सीटों पर प्रवेश परीक्षा के माध्यम से तैयार प्रतीक्षा सूची में से प्रवेश हेतु जिला स्तरीय समिति अधिकृत होगी। परन्तु 9वीं कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या निर्धारित मापदंडानुसार ही होगी।

2. स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रवेश नीति में विभिन्न श्रेणियों में प्रवेश सीटें आरक्षित करने हेतु प्रवेश नीति में बिन्दु संख्या C (विभिन्न श्रेणियों में प्रवेश हेतु सीटें आरक्षित करने का प्रावधान) निम्नानुसार जोडा जाता है :–

   2.1. प्रत्येक मॉडल विद्यालय में निर्धारित सीटों के अतिरिक्त तीन सीटों पर राज्य सरकार के स्तर से प्रवेश की अनुशंषा की जा सकेगी।

   2.2 मॉडल विद्यालय से संबंधित जिले के वर्तमान माननीय सांसद (लोकसभा) उस जिले के प्रत्येक मॉडल विद्यालय में एक सीट पर प्रवेश दिलाने हेतु अनुशंषा उसी संसदीय क्षेत्र के निवासी छात्र/छात्रा के लिए कर सकेंगे।

2.3 सांसद (राज्य सभा) अपने गृह जिले के संचालित मॉडल स्कूलों में प्रत्येक विद्यालय के लिए एक विद्यार्थी, जो उसी जिले के निवासी हो, के लिये प्रवेश की अनुशंषा कर सकेंगे।

2.4 मॉडल विद्यालय से संबंधित जिले के वर्तमान माननीय जिला प्रमुख उस जिले में प्रति मॉडल विद्यालय में प्रवेश हेतु एक सीट पर उसी जिले के निवासी छात्र–छात्रा के प्रवेश हेतु अनुशंषा कर सकेंगे।

2.5 मॉडल विद्यालय से संबंधित जिले के माननीय जिला कलक्टर अपने जिले में प्रति विद्यालय में प्रवेश हेतु एक सीट पर उसी जिले के निवासी छात्र–छात्रा के प्रवेश हेतु अनुशंषा कर सकेंगे।

2.6 मॉडल विद्यालय से संबंधित क्षेत्र के वर्तमान माननीय विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के मॉडल विद्यालय में प्रवेश हेतु एक सीट प्रति विद्यालय पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र में निवास करने वाले छात्र–छात्रा की प्रवेश हेतु अनुशंषा कर सकेंगे।

2.7 मॉडल विद्यालय से संबंधित पंचायत समिति के वर्तमान प्रधान संबंधित पंचायत समिति के क्षेत्र में स्थित विद्यालय में प्रवेश हेतु एक सीट की अनुशंषा कर सकते है परन्तु यह अनुशंषा उस पंचायत समिति के क्षेत्र में निवास करने वाले छात्र–छात्रा हेतु ही होगी।

2.8 मॉडल विद्यालय स्थित क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य जिला परिषद् स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र में संचालित मॉडल विद्यालय में स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाले छात्र–छात्रा के लिये एक सीट पर प्रवेश दिलाने हेतु अनुशंषा कर सकेंगे।

2.9 उक्त सभी प्रकरणों में की गयी अनुशंषा कक्षा 6, 9 एवं 11 में प्रवेश हेतु की जा सकेगी तथा यह अनुशंषा मॉडल विद्यालय की इन कक्षाओं हेतु निर्धारित सीटों की संख्या के अतिरिक्त सीटों के लिये होगी।

उक्त प्रवेश प्रावधान राज्य में संचालित समस्त स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल के लिए लागू होंगे। अतः तदनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जावे।

शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. अति. आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव, प्रथम

Scanned with CamScanner

251

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 4(15) शिक्षा–1 / मॉडल स्कूल / 2008 पार्ट

जयपुर, दिनांक 23-2-15

आयुक्त,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर, राजस्थान।

विषय :–स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में सत्र 2015–16 से प्रवेश हेतु नीति का निर्धारण कर दिशा–निर्देश प्रसारित किए जाने बाबत।

संदर्भ :– राज्य सरकार का पूर्व पत्रांक क्रमांक : प. 4(15) शिक्षा–1 / मॉडल स्कूल / 2008 पार्ट जयपुर दिनांक 24.06.2013 एवं दिनांक 21.08.2013।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रों के क्रम में केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत संचालित स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के संचालन हेतु प्रसारित दिशा–निर्देशों में संशोधन करते हुए सत्र 2015–16 से कक्षा 6 से 9 के लिए निम्नानुसार प्रवेश नीति निर्धारित की जाती है :–

(A) कक्षा 6 से 8 तक प्रवेश नीति

1. कक्षा 6 से 8 तक राज्य सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार ही प्रवेश प्रक्रिया रखी जानी है जो निम्नानुसार है:–
   i. प्रथम वरीयता–संबंधित ब्लॉक्स से विधवा, परित्यक्ता एवं एच.आई.वी. एड्स पीड़ित अभिभावकों के बालक–बालिकाएं।
   ii. द्वितीय वरीयता–विकलांग बालक–बालिकाएं चाहे वो किसी भी श्रेणी के हों।
   iii. तृतीय वरीयता–बी.पी.एल. परिवार (केन्द्र व राज्य सूची) के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक वर्ग के बालक–बालिकाएं।
   iv. चतुर्थ वरीयता–बी.पी.एल. परिवार के सामान्य वर्ग के बालक–बालिकाएं।
   v. पंचम वरीयता–नॉन बी.पी.एल. परिवार के बालक–बालिकाएं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक वर्ग के हों।
   vi. छठी वरीयता–नॉन बी.पी.एल. सामान्य वर्ग के बालक–बालिकाएं।
2. कुल प्रवेश योग्य सीटों पर बालिकाओं के लिए सत्र 2014–15 में निर्धारित न्यूनतम 50 प्रतिशत के स्थान पर न्यूनतम 55 प्रतिशत का प्रावधान छात्राओं हेतु रखा जावे।
3. मॉडल स्कूलों में प्रवेश हेतु उसी ब्लॉक में निवास करने वाले छात्र / छात्रा को ही प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावें। सीट रिक्त होने की स्थिति में अन्य ब्लॉक के छात्र / छात्रा को प्रवेश दिया जा सकेगा।
4. कक्षा 6 में शत् प्रतिशत प्रवेश नवीन होंगे। कक्षा 7 एवं 8 में पूर्व से अध्ययरत् विद्यार्थियों के अतिरिक्त शेष रिक्त सीटों पर भी निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार ही प्रवेश दिया जावे।
5. प्रवेश समिति द्वारा सुनिश्चित किया जावे कि कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक कक्षा में शत् प्रतिशत नामांकन हो।

Scanned with CamScanner

6. वरीयता एवं वरीयता में उल्लेखित क्रम से ही रिक्तियों की पूर्ति की जावेगी, फिर भी अंत में आवश्यकता हुई तो लॉटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा।

7. प्रवेश समिति का संगठनात्मक स्वरूप राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही रहेगा जो निम्नानुसार है :–

   i. मॉडल स्कूल के निकटस्थ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य–अध्यक्ष

   ii. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी–सदस्य

   iii. स्थानीय ब्लॉक से एक जन प्रतिनिधि (अध्यक्ष द्वारा नामित)–सदस्य

   iv. मॉडल स्कूल का प्रधानाचार्य–सदस्य सचिव

8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ओबीसी (नॉन क्रिमीलियर)/बीपीएल/विकलांग इत्यादि के संबंध में जारी प्रमाण–पत्र संबंधित राज्य सरकार/संघ सरकार के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। यदि बच्चे का यह प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रवेश के प्रयोजन हेतु माता अथवा पिता के प्रमाण–पत्र को आरम्भ में स्वीकार कर लिया जाए किन्तु संबंधित प्रमाण–पत्र प्रवेश के 3 माह के भीतर जमा करना होगा।

9. कक्षा 6 से 8 में प्रवेश हेतु शेष समस्त शर्ते राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.4 (15)/शिक्षा–1/मॉडल स्कूल/2008 पार्ट जयपुर दिनांक 24.06.2013 एवं 21.08.2013 के अनुसार ही प्रभावी होंगी।

(B) कक्षा 9 में प्रवेश हेतु नीति

स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में सत्र 2015–16 से कक्षा 9 के लिए प्रवेश नीति निम्नानुसार होगी :–

1. प्रति मॉडल स्कूल 9वीं कक्षा में 2 सेक्शन के अनुसार अधिकतम प्रवेश योग्य विद्यार्थियों की संख्या 80 होगी।
2. स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत आठवीं कक्षा के विद्यार्थी 8वीं परीक्षा में ग्रेड बी अथवा 45 प्रतिशत एवं उससे अधिक स्तर प्राप्त करने पर कक्षा 9 में प्रवेश हेतु पात्र होगें।
3. ग्रेड बी अथवा 45 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों को आरटीई के तहत उच्च प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र दिया जाकर उनका अन्य राजकीय विद्यालयों में प्रवेश करवाया जायेगा।
4. उक्तानुसार सीटे भरने के उपरान्त कक्षा 9 में शेष रही सीटों पर प्रवेश हेतु ब्लॉक स्तर पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र के आधार पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जावेगा।
5. प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम उतीर्णांक 33 प्रतिशत होगा।
6. प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थी 9वीं कक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।
7. प्रवेश परीक्षा के अंक जारी होने के उपरान्त किसी प्रकार की पुनः जांच का प्रावधान नहीं होगा।
8. प्रवेश परीक्षा में चयन के उपरांत भी विद्यार्थी तब तक प्रवेश का पात्र नहीं होगा जब वह आवश्यक दस्तावेज समिति को उपलब्ध करवाएगा एवं समिति उक्त दस्तावेजों से पूर्णतः संतुष्ट होगी।

Scanned with CamScanner

9. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जिला स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।

10. **प्रवेश में आरक्षण के प्रावधान निम्नानुसार होंगे:—**

i. राज्य के टी.एस.पी. क्षेत्रों एवं बारां जिले के अतिरिक्त अन्य ब्लॉक्स में प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिये जाने वाली प्रवेश योग्य सीटों में से अनुसूचित जाति हेतु —16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति हेतु —12 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग हेतु —21 प्रतिशत एवं विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु— 1 प्रतिशत, आरक्षित होगी एवं शेष 50 प्रतिशत सीटे अनारक्षित वर्ग से भरी जावेगी।

ii. टी.एस.पी. एरिया के संबंधित ब्लॉक्स में आरक्षण राज्य सरकार के मापदंडानुसार अनुसूचित जनजाति हेतु —45 प्रतिशत, अनुसूचित जाति हेतु —5 प्रतिशत होगा एवं शेष 50 प्रतिशत सीटे अनारक्षित वर्ग से भरी जावेगी।

iii. बारां जिले के समस्त ब्लॉक्स् में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली सीटों हेतु अनुसूचित जाति हेतु 8 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति हेतु 6 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग हेतु 10 प्रतिशत, विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु 1 प्रतिशत, सहरिया वर्ग हेतु 25 प्रतिशत आरक्षित होगी, एवं शेष, 50 प्रतिशत सीटें अनारक्षित वर्गों से भरी जायेगी।

iv. प्रत्येक वर्ग में न्यूनतम 55 प्रतिशत सीटे छात्राओं हेतु एवं 3 प्रतिशत सीटे निःशक्तजन के लिए आरक्षित होंगी।

v. प्रवेश हेतु यदि किसी वर्ग में 55 प्रतिशत छात्राएं उपलब्ध नहीं होती है तो शेष सीटे उसी वर्ग के छात्रों से भरी जावेगी। इसी प्रकार 3 प्रतिशत निशःक्तजन उपलब्ध नहीं होने पर शेष सीट उसी वर्ग के छात्र—छात्राओं से भरी जावेगी।

vi. किसी वर्ग हेतु निर्धारित सीटो के लिए उस वर्ग के विद्यार्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष सीटे अनारक्षित वर्ग से भरी जावेगी।

11. **प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया :—**

i. प्रवेश परीक्षा में संबंधित ब्लॉक के राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के 8वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी भाग ले सकेंगे।

ii. प्रवेश परीक्षा का आयोजन संबंधित जिले के स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल में किया जायेगा।

iii. प्रवेश परीक्षा हेतु पेपर का निर्माण एवं प्रवेश परीक्षा के क्रियान्वयन की समस्त जिम्मेदारी जिला स्तर पर गठित समिति की होगी। समिति निम्नानुसार होगी :—

- जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा एवं जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान— अध्यक्ष।
- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान— सदस्य।
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान—सदस्य
- संस्था प्रधान—1 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल (जिले के संचालित मॉडल स्कूल से)— सदस्य
- कार्यक्रम अधिकारी, सदस्य सचिव होंगे।

iv. प्रश्न पत्रों मे गणित, सामान्य विज्ञान, हिंदी एवं अंग्रेजी विषय पर वस्तुपरख प्रश्न पूछे जावेंगे। प्रश्न पत्र 8वीं कक्षा के स्तर का होगा। प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों का होगा एवं प्रत्येक विषय को बराबर अंकभार प्रदान किया जावेगा। उक्त प्रश्नपत्र में हिन्दी विषय के अलावा अन्य विषयों के प्रश्न अंग्रेजी भाषा में मुद्रित होगें।

v. प्रवेश परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी।

Scanned with CamScanner

254

vi. जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रवेश परीक्षा की प्रकिया 01 अप्रैल तक पूर्ण की जावेगी एवं इस परीक्षा के आधार पर वर्गवार बनाई गई मैरिट लिस्ट में से उपलब्ध रिक्तियों पर 30 जून तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी।

vii. जिला स्तरीय समिति द्वारा ही ब्लॉकवार रिक्तियों की सूचना प्रकाशित की जावेगी एवं समाचार पत्रों, अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावेगा।

viii. जिला स्तरीय समिति द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रश्न पत्रों को 5 विभिन्न Sequential Order में निर्मित किया जायेगा।

ix. प्रश्न पत्रों का मुद्रण, प्रकाशन एवं वितरण जिला परियोजना समन्वयक के द्वारा करवाया जावेगा।

प्रवेश हेतु समयबद्ध कलैण्डर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्तर से निर्धारित कर जारी किया जावेगा। अतः तद्नुसार स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के संचालन हेतु वर्ष 2015–16 से प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जावे।

23/2/15

शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

23/2/15

शासन उप सचिव, प्रथम

Scanned with CamScanner